न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 132 सन् 2020 दायरा दिनांक:– 12-10-2020

हरिराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. मोहनराम पुत्र पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सुखाराम पुत्र पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ तहसील बीदासर
4. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा चूरू
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

6. गोवर्धनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. भगवानाराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. रामुराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. रामलाल पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री गौतम सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व गौण प्रतिवादी संख्या 6 ता 9

–: निर्णय :–

दिनांक:– 15.12.2020

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ व गौण प्रतिवादी संख्या 6 छः ता 9 नौ के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 100 सौ तादादी 6.2726 छः दशमलव दौ हजार सात सौ छबीस हेक्टेयर, खसरा संख्या 101 एक सौ एक तादादी 6.0196 छः दशमलव एक सौ छानवे हेक्टेयर, खसरा संख्या 209 दौ सौ नौ तादादी 3.6928 तीन दशमलव छः हजार नौ सौ अठाईस हेक्टेयर, खसरा संख्या 221 दौ सौ ईक्कीस तादादी 7.2717 सात दशमलव दौ हजार सात सौ सतरह हेक्टेयर, खसरा संख्या 284 दौ सौ चौरासी तादादी 5.0586 पांच दशमलव पांच सौ छियासी हेक्टेयर, खसरा संख्या 285 दौ सौ पिचयासी तादादी 6.5635 छः दशमलव

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

...हजार छः सौ पेंतीस हेक्टेयर कुल किता 6 छः कुल रकबा 34.8788 चौतीस दशमलव आठ हजार सात सौ अठयासी हेक्टेयर भूमि वाके रोही कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे इस वादपत्र में आगे ''वादगत भूमि'' के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादगत भूमि में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण संख्या का 6 छः ता 9 नौ का संयुक्त 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ का संयुक्त 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा नियत है। वादी, गौण प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ का खान पान, लेन–देन सब अलग–अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी एंव गौण प्रतिवादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां हो रही है ओर प्रतिवादीगण वादगत खसरेजात की भूमियों की सीमा चिन्ह को लेकर वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के साथ झगडा फसाद करते रहते है। वादी ने वादगत खसरेजात की भूमि पर कठिन परिश्रम करके उक्त हिस्सा भूमि को काफी उपजाउ बना रखा है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ के मन में बईमानी होने के कारण वादी एंव गौण प्रतिवादीगण के हिस्से पांति की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कुचेष्ठा करने में लगे हुए है तथा वादी एवं गौण प्रतिवादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत बना रखी है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपने हिस्से पांति की संयुक्त खातेदारी भूमि का ''बाई मीटस एण्ड बाउन्स'' के आधार पर विभाजन करवाकर अपनी संयुक्त हिस्सा की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग अंकित करवाकर लगान का अलग से विभाजन करवायें। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ से दिनांक 20.09.2020 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग अलग अंकित करवाये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ ने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी एवं गौण प्रतिवादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ को वर्जित कराये कि वोह वादी एंव गौण प्रतिवादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादी के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बहार होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उसे वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 5 पांच के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व गौण प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ओर प्रतिवादी संख्या 5 का जवाब बंद किया गया। दावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व गौण प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की। राजीनामा में वादी की पहचान श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व गौण प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की पहचान श्री गौतम सैनी एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार अपने दावा को डिकी करने का निवेदन किया।

बहस वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को राजीनामा के अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा किसी लोक निति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय यह प्रयास करेगा कि विवाद को उभयपक्ष की सहमति से तथा समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिकी किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिकी योग्य होने से स्वीकार कर राजीनामा अनुसार इस प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कांधलसर के खसरा संख्या 100 तादादी 6.2726 हेक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हिब. बैंक रहन सहित तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 101 तादादी 6.0196 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 3.0098 हेक्टेयर भूमि वादी हरीराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के अकेले के नाम व शेष पूर्वी साईड की 3.0098 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 9 रामलाल पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के अकेले के नाम तथा खसरा संख्या 221 तादादी 7.2717 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 3.6359 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 6 गोवर्धनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के अकेले के नाम व शेष पूर्वी साईड की 3.6358 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हिब. बैंक रहन सहित तथा खसरा संख्या 209 तादादी 3.6928 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 0.4616 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 9 रामलाल पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ 0.4616 हेक्टेयर भूमि वादी हरीराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ 0.4616 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 8 रामुराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ 0.4616 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 7 भगवानाराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ शेष भूमि तादादी 1.8464 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. बैंक रहन सहित अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 284 तादादी 5.0586 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 285 तादादी 6.5635 हेक्टेयर में सें दक्षिणी तरफ की 0.6260 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हिब. बैंक रहन सहित अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 285 तादादी 6.5635 हेक्टेयर में सें उतरी पश्चिमी साईड की 2.9687 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 7 भगवानाराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उतरी पूर्वी साईड की 2.9688 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 8 रामुराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम अलग से खातेदारी में दर्ज कर लगान का अलग से विभाजन किया जावे। उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

२

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

हरीराम बनाम मोहनराम आदि

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न. 132 /2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु......हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व गौतम सैनी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व गौण प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कांधलसर के खसरा संख्या 100 तादादी 6.2726 हेक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हिब. बैंक रहन सहित तथा खसरा संख्या 101 तादादी 6.0196 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 3.0098 हेक्टेयर भूमि वादी हरीराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के अकेले के नाम व शेष पूर्वी साईड की 3.0098 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 9 रामलाल पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के अकेले के नाम तथा खसरा संख्या 221 तादादी 7.2717 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 3.6359 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 6 गोवर्धनराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के अकेले के नाम व शेष पूर्वी साईड की 3.6358 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हिब. बैंक रहन सहित तथा खसरा संख्या 209 तादादी 3.6928 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 0.4616 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 9 रामलाल पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ 0.4616 हेक्टेयर भूमि वादी हरीराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ 0.4616 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 8 रामुराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ 0.4616 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 7 भगवानाराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उससे पूर्व की तरफ शेष भूमि तादादी 1.8464 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. बैंक रहन सहित अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 284 तादादी 5.0586 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 285 तादादी 6.5635 हेक्टेयर में सें दक्षिणी तरफ की 0.6260 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मोहनराम, सुखाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम कांधलसर के संयुक्त नाम से ब.हिब. बैंक रहन सहित अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 285 तादादी 6.5635 हेक्टेयर में सें उतरी पश्चिमी साईड की 2.9687 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 7 भगवानाराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम व उतरी पूर्वी साईड की 2.9688 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी संख्या 8 रामुराम पुत्र रतिराम जाति नायक निवासी कांधलसर के नाम अलग से खातेदारी में दर्ज कर लगान का अलग से विभाजन किया जावे। उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। अंतिम डिकी की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

....मुबलिग..बाबत..

....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.. को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.12.2020

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी बौदामर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना		
महनताना वकील			वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय		
मुतफरिक			हुक्मनामा		
			मुतफरिक		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बौदामर

Scanned by CamScanner